न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./95/2024

1. उमेश चन्द
2. वृजेश कुमार
3. यशपाल
4. वेदपाल

} पिसरान रामनिवास, निवासी रूदावल, तहसील रूदावल जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1. साहब सिंह पुत्र श्री सीताराम जाति गुर्जर निवासी नगला तुला तहसील रूदावल जिला भरतपुर (राज.)
2. हरभान पुत्र श्री विशम्भर जाति गुर्जर निवासी नगला उदयपाल तहसील खेरागढ जिला आगरा (उ.प्र.)
3. अशोक कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द
4. वेदमित्र पुत्र श्री सुरेश चन्द
5. ऊषा पुत्री सुरेश चन्द
6. राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल
7. योगेन्द्र पुत्र मांगीलाल
8. शीला पुत्री मांगीलाल
9. पुष्पा पुत्री मांगीलाल
10. आशा पुत्री मांगीलाल
11. सुधा पुत्री मांगीलाल
12. मधु पुत्री मांगीलाल
13. मंजू पत्नी महेन्द्र
14. मयंक पुत्र श्री महेन्द्र
15. मेघा पुत्री महेन्द्र
16. प्रेम पत्नी सत्यप्रकाश
17. दीपक पुत्र सत्यप्रकाश
18. विकास पुत्र सत्यप्रकाश
19. मंजू पुत्री सत्यप्रकाश
20. सीमा पुत्री सत्यप्रकाश
21. मीता पुत्री सत्यप्रकाश
22. सुनीता पुत्री सत्यप्रकाश
23. मीनू पुत्री सत्यप्रकाश

} (3–23) निवासीयान रूदावल तहसील रूदावल जिला भरतपुर

...... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी रूपवास श्री विष्णू वंसल, वमुकदमा दावा संख्या–382/2024 उमेशचन्द वगै0 बनाम साहब सिंह अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व प्रार्थना पत्र संख्या 282/2024 अन्तर्गत धारा 212

उपस्थितः–

1–श्री रमनलाल मित्तल, अभिभाषक प्रार्थी0,

2–श्री प्रमोद उपमन अभिभाषक अप्रार्थी–2,

......2

निर्णय

दिनांक 11.06.2025

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्डाधिकारी रूपवास इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र संख्या 382/2024, आराजी खसरा नं. 1663, 1664, 1669, 1670, 1694 वाके ग्राम रूदावल तहसील रूदावल जिला भरतपुर में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं एक प्रार्थना पत्र संख्या 282/2024 अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम उनवानी उमेशचन्द वगै0 वनाम साहव सिंह लम्वित है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण/सायलान व अप्रार्थीगण/गैरसायलान संख्या 3 लगायत 12 की खसरा नम्बरान 1663, 1670, 1694 शामलाती है इन तीनों खसरा नम्वरान पर 50–60 वर्ष से पहले कच्चा रास्ता था और मौके पर पी.डव्लू.डी. विभाग ने डावर सडक व गांव की सीमा में इन्टरलॉकिंग की है। जो रूदावल से करनपुरा जाती है। इस सड़क के नम्बरान को सेटलमन्ट की गलती से खातेदारी दर्ज कर दी है। जवकि सैटलमेंट से पहले गैरमुमकिन रास्ता दर्ज था। जिसे लेकर दावा उपखण्डाधिकारी रूपवास में लम्वित है। प्रार्थी0/सायलान के चाचा ने सडक के खसरा नम्वर में अपना हिस्से को गैरसायल सं0 1 व 2 को विक्रय कर दिया है। अव गैरसायल संख्या 1 व 2 इस रास्ते की भूमि पर एवं प्रार्थी0 की अन्य खातेदारी की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में हैं। प्रार्थीगण/सायलान के चाचा (विक्रेता) व अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी श्री विष्णु वंसल उनके रिश्तेदार हैं। पीठासीन अधिकारी से बात हो गई हैं आगामी तारीख पेशी पर स्टे तुडवा कर अपने पक्ष में फैसला करा लेंगे। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास में विचाराधीन दावा 382/2024 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना पत्र संख्या 282/2024 अन्तर्गत धारा 212 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी रूपवास से टिप्पणी तलव की गई। उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी0 संख्या 2 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण की तलवी के सम्वन्ध में वकील अप्रार्थी0 द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण में असल अप्रार्थी उपस्थित हैं अन्य अप्रार्थी0 की तलवी की आवश्यकता नहीं रहती है। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा भी अन्य अप्रार्थी0 की तलवी नहीं कराने हेतु सहमति जाहिर की गई एवं फाईनल वहस सुने जाने हेतु निवेदन किया।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की वहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं0 2 की ओर से लिखित वहस पेश की गई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की वहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक प्रार्थना पत्र संख्या 382/2024, आराजी खसरा नं. 1663, 1664, 1669, 1670, 1694 वाके ग्राम रूदावल तहसील रूदावल जिला भरतपुर में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं एक प्रार्थना पत्र संख्या 282/2024 अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम उनवानी उमेशचन्द वगै0 वनाम साहब सिंह लम्वित

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण/सायलान व अप्रार्थीगण/गैरसायलान संख्या 3 लगायत 12 की खसरा नम्बरान 1663, 1670, 1694 शामलाती है इन तीनों खसरा नम्बरान पर 50–60 वर्ष से पहले कच्चा रास्ता था और मौके पर पी.डब्लू.डी. विभाग ने डावर सड़क व गांव की सीमा में इन्टरलॉकिंग की है। जो रूदावल से करनपुरा जाती है। इस सड़क के व्यक्ति को सैटलमेन्ट की गलती से खातेदारी दर्ज कर दी है। जबकि सैटलमेंट से पहले गैरमुमकिन रास्ता दर्ज था। जिसे लेकर दावा उपखण्डाधिकारी रूपवास में लम्वित है। अब प्रार्थीगण/सायलान के चाचा (विक्रेता) व अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी श्री विष्णु वंसल उनके खास रिश्तेदार हैं और उनके पूर्णरूप से प्रभाव में हैं, आगामी तारीख पेशी पर स्टे तुडवा कर अपने पक्ष में फैसला करा लेंगे। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास में विचाराधीन दावा 382/2024 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना पत्र संख्या 282/2024 अन्तर्गत धारा 212 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में असल अप्रार्थी उपस्थित हैं अन्य अप्रार्थीगण की तलवी की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। उपखण्डाधिकारी रूपवास से अप्रार्थी0 की कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्रार्थी का उद्देश्य विचाराधीन दावा को देरीना करने का है, प्रार्थी दावा का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावों को देरीना करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी रूपवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर